

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा आगार

कार्यालय :- मुख्य प्रबन्धक, भीलवाड़ा आगार

कमांक:- मु.प्र./भील./लेखा/वाणिज्य/26/2731

दिनांक:-24.02.2026

ई - बोली आमन्त्रण सूचना


केन्द्रीय बस स्टेण्ड, भीलवाड़ा आगार पर होर्डिंग्स, पिल्लर बोर्ड, साईन बोर्ड एवं ग्लो साईन बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई - बोली आमन्त्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	स्थान/प्लेटफॉर्म नम्बर	स्टॉल नं.	स्टॉल प्रकृति/कार्य	साईज वर्ग फीट	RISL प्रासेसिंग फीस	निविदा शुल्क (जीएसटी सहित)	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
1.	केन्द्रीय बस स्टेण्ड, भीलवाड़ा एवं अधीनस्त बुकिंग घरों/खिड़की पर	101	होर्डिंग्स	20X10 फुट अधिकतम	500	236	50,000	6,00,000
			पिल्लर बोर्ड	04X03 फुट अधिकतम				
			साईन बोर्ड	06X02 फुट अधिकतम				
			ग्लो साईन बोर्ड	06X02 फुट अधिकतम				

निविदा सम्बन्धित विस्तृत जानकारी नियम व शर्तों में उपलब्ध है। RISL प्रासेसिंग फीस हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MANAGING DIRECTOR RISL के नाम से देय होंगे। धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक CM RSRTC BHILWARA DEPOT के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की छाया प्रतिलिपि (SCANNED COPY) ई - बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक दिनांक 17.03.2026 को 15:00 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए, तकनीकी बोली दिनांक 17.03.2026 को ही 16:00 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है:-

क.स.	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड करना	24.02.2026	18:00	
2.	प्री - बिड मीटिंग	04.03.2026	14:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष, भीलवाड़ा आगार
3.	ई - बोली प्रारम्भ	05.03.2026	11:00	
4.	ई - बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	16.03.2026	17:00	
5.	मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	17.03.2026	15:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष, भीलवाड़ा आगार
6.	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	17.03.2026	16:00	

विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.rajasthan.gov.in> और निगम वेबसाईट <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> से डाउनलोड किए जा सकते हैं भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन वेबसाईट को निरन्तर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित /निरस्त किया जा सकता है।



(निरंजन कुमार शर्मा)

मुख्य प्रबन्धक
भीलवाड़ा आगार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा आगार।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड भीलवाड़ा पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अरथाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

तकनीकी बिड - प्रपत्र



कंपनी की दशा में फोटो अनिवार्य नहीं है।

मुख्य प्रबन्धक भीलवाड़ा आगार

01	कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:-	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
	कार्यालय	:-	
	निवास	:-	
03	टैलेक्स/फैक्स नम्बर	:-	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:-	
05	धरोहर राशि	:-	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा	:-	
	ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर		
	दिनांक	:-	
07	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ/विज्ञापन प्रदर्शित कार्य हेतु का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
08	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम		
	बैंक में खाता नम्बर	:-	
09	अन्य आवश्यक विवरण:- पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।	:-	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. केन्द्रीय बस स्टैण्ड भीलवाड़ा आगार पर होर्डिंग्स की साईज/संख्या विज्ञापन के लिए निम्नप्रकार से होगी:-

विज्ञापन	संख्या व स्थान	साईज
होर्डिंग्स	10 अधिकतम (मुख्य द्वार से दायी ओर निगम कार्यशाला में लव गार्डन रोड की तरफ निगम दीवार तक), एटीएम के सामने प्रवेश द्वार से इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक निगम परिसर दीवार तक, निगम कार्यालय के सामने मूत्रालय के उपर व महिला नि शुल्क कॉम्प्लेक्स के पास उपलब्ध रिक्त स्थान(विद्युत सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए)	20X10 फुट के गुणांक में
पिल्लर बोर्ड	14 अधिकतम (उपलब्ध खाली स्थान)	04X03 फुट अधिकतम
साईन बोर्ड	15 अधिकतम (उपलब्ध खाली स्थान)	06X02 फुट अधिकतम
ग्लो साईन बोर्ड	10 अधिकतम (उपलब्ध खाली स्थान)	06X02 फुट अधिकतम

उक्त के अतिरिक्त बुकिंग साईन बोर्ड केन्द्रीय बस स्टैण्ड भीलवाड़ा के सभी प्लेटफॉर्मों, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, व निकास द्वार एवं केन्द्रीय बस स्टैण्ड भीलवाड़ा के अधिनस्थ बुकिंगघर अजमेर चौराहा, सांगानेरी गेट, चित्तौड़ चौराहा, गंगापुर चौराहा बुकिंग खिड़की पर ही लगाए जाएंगे। बुकिंग साईन बोर्ड में 80 प्रतिशत स्थान पर निगम सूचना/विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएंगे एवं शेष 20 प्रतिशत स्थान विज्ञापन के लिए उपलब्ध रहेगा।


नोट:- लाईसेंस को उक्त के अतिरिक्त बस स्टैण्डों पर वाल पेन्टिंग तथा आडियो विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. निविदादाता/बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/फर्म का भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। फर्म को किसी विभाग/संस्था में होर्डिंग्स, पिल्लर बोर्ड, ग्लो साईन बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निविदादाता/बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/फर्म को गत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि निविदा दाता/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य एवं अपूर्ण पायी जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
3. यदि लाईसेंसधारी द्वारा निगम के मौजूदा विज्ञापन स्ट्रक्चर आदि का उपभोग किया जाता है तो अनुबन्ध रद्द/समाप्ति पर निगम सम्पत्ति/विज्ञापन स्ट्रक्चर को जिस अवस्था में निगम द्वारा सम्भलवाये गये थे उसी अवस्था में लाईसेन्सी को सुपुर्द करवाने होंगे अन्यथा निगम कोष में लाईसेन्सी की जमा राशियों में से उसकी वसूली की जायेगी।
4. बस स्टैण्ड पर लाईसेन्सधारी स्थानीय, नियमों के अनुसार उपलब्ध स्थान पर यात्रियों की सुविधा एवं बस स्टैण्ड परिसर की सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित मुख्य प्रबन्धक की इजाजत के अनुसार संलग्न सूची में दर्शाए गये विज्ञापन पट्टों की संख्या के अनुसार विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग्स विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगे। लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर प्रमाणित मार्का का सब मीटर लगाना होगा, जिसकी प्रथम रीडिंग निगम के रिकार्ड पर नोट की जाकर सब

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा आगार।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड भीलवाड़ा पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा-प्रपत्र



कंपनी की दशा में फोटो अनिवार्य नहीं है।

मुख्य प्रबन्धक भीलवाड़ा आगार

01	कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:-	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
	कार्यालय	:-	
	निवास	:-	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:-	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:-	
05	घरोहर राशि	:-	
06	घरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर	:-	
	दिनांक	:-	
07	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्ताल/बूथ/विज्ञापन प्रदर्शित कार्य हेतु का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।	:-	
08	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम	:-	
	बैंक में खाता नम्बर	:-	
09	अन्य आवश्यक विवरण:- पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।	:-	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

मीटर पर निगम की विशेष सील लगाई जावेगी उस सील को सुरक्षित रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा जिसका नियमों के अनुसार मासिक भुगतान करना होगा। निगम के पास अतिरिक्त विद्युत क्षमता उपलब्ध होगी तब ही लाईसेन्सी को विद्युत उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसके फलस्वरूप निगम के अन्य कार्य प्रभावित नहीं होते हो तथा निगम लाईसेन्सी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं होगा एवं इसमें हानि व अन्य दोष के कारण निर्धारित लाईसेन्स शुल्क में कोई छूट/रियायत स्वीकार्य नहीं होगी।

5. लाईसेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह जब भी चाहे उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर अपने खर्चे पर विज्ञापन लगा सकता या हटा सकता है।
6. अनुबन्ध प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायायिक एवं विज्ञापन शुल्क, लाईसेंस शुल्क बकाया न होने एवं सन्तोषजनक सेवाये रहने पर एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात् पूर्व लाईसेंस फीस में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले अग्रिम वर्ष के हेतु नवीनीकरण किया जावेगा। तथा अधिकतम 04 वर्ष हेतु आगारीय समिति की अनुशंसा पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। जो कि कुल 05 वर्ष हेतु दिया जा सकता है। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्थान आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को स्थान खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
7. निगम के बस स्टैण्डों पर विज्ञापन प्रारम्भ/प्रदर्शित करने की एवज में लाईसेन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि में निर्धारित राशि के अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।
8. लाईसेन्सधारी लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 01 तारीख को देय होंगे, देगा। अग्रिम लाईसेन्स फीस संबंधित माह की 7 तारीख तक अग्रिम जरिये बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट द्वारा निगम में जमा करानी होगी। इस निर्धारित समय सीमा में पूर्ण राशि जमा नहीं होने पर रुपये 500/- (अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) अथवा देय लाईसेंस फीस का 1% प्रतिशत दोनों में से जो भी अधिक हो, शास्ति राशि प्रति दिवस जमा करानी होगी।
9. निविदा के समय धरोहर राशि 50,000/- रु (अक्षरे पचास हजार रुपये) की डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में मुख्य प्रबन्धक भीलवाड़ा आगार के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एवं नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में निविदा प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यह राशि निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाओं की राशि, निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
10. निगम द्वारा जिस निविदा दाता के प्रस्ताव स्वीकार किये जावेगे उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप में 3 माह की स्वीकृत/अनुमोदित लाईसेन्स फीस के बराबर राशि डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी एवं पाँच सौ रुपये के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रुपये 50,000/- के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्ति के चार माह पश्चात् बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि निविदाकर्ता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 10 दिवस में अनुबन्ध नहीं करता एवं निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स का आवंटन किया जा सकेगा।
11. नई विज्ञापन एजेन्सी को कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस का समय विज्ञापन स्ट्रेक्चर आदि के लिए दिया जावेगा, तथा आदेश दिनांक से 30 दिवस पश्चात् लाईसेंस फीस देय होगी।

12. लाईसेंसी का यह लाईसेंस पूर्ण रूप से अहस्तान्तरणीय होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पाया गया तो सम्पूर्ण सुरक्षा/धरोहर राशि जब्त करने के साथ लाईसेंस समाप्त करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा एवं इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने व कानूनी कार्यवाही का भी पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के टेक्स/प्रभार/सेवाकर/शुल्क आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व लाईसेंसी का ही होगा। यह राशि लाईसेन्सी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में लाईसेन्सी की जमा सुरक्षा राशि में से इसका भुगतान कर दिया जायेगा। जिसका पुर्नभरण लाईसेन्सी द्वारा 15 दिवस के अन्दर-अन्दर करना होगा तथा वह इस प्रकार की स्थिति से उत्पन्न अन्य जिम्मेदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा।
14. लाईसेंस की शर्त के अनुसार लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस शुल्क/विज्ञापन शुल्क 15 दिवस तक जमा नहीं कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के लाईसेन्सी के समस्त विज्ञापन पट्ट हटा सकेगा तथा विज्ञापन पट्ट सामग्री तथा एंगल, टिनबोर्ड, गार्डर जब्त कर सकेगा तथा लाईसेंस रद्द कर सकेगा एवं धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर सकेगा एवं बकाया राशि वसूल की जा सकेगी। जब्त सामग्री को बकाया राशि की वसूली हेतु नीलाम व अन्य उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया से भी करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा। जिसके सम्बन्ध में लाईसेंसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा।
15. लाईसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर/सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो वह राशि निगम द्वारा जब्त की गई दिनांक से 15 दिवस के भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अन्यथा लाईसेंसी को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।
16. लाईसेंसी द्वारा होर्डिंग्स/पिल्लर बोर्ड/साईन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड मुख्य प्रबन्धक की अनुमति से ही सूची में वर्णित होर्डिंग्स/पिलर बोर्ड/साईन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड की संख्या एवं साईज के अनुसार ही उपलब्ध कराये गये स्थल पर लगाये जा सकेंगे।
17. राज्य/केन्द्र सरकार एवं निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन बस स्टैण्डों पर करने की आवश्यकता हुई तो वह संलग्न सूची सहित निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके लिए लाईसेन्सी को किसी प्रकार की छूट विज्ञापन शुल्क/लाईसेंस शुल्क में नहीं दी जावेगी।
18. लाईसेंसी के होर्डिंग्स/पिलर बोर्ड की किसी भी कारण से चोरी हो जाने/गिर जाने/फट जाने/जलने/प्राकृतिक आपदा/अन्य किसी भी प्रकार से होने वाली क्षति का दायित्व स्वयं लाईसेंसी का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
19. लाईसेंसी द्वारा किसी प्रकार के नशीले पदार्थ पान मसाला गुटखा एवं तम्बाकू के उत्पाद के विज्ञापन/अश्लील विज्ञापन अथवा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय/स्वायत्तशासी संस्थान एवं निगम द्वारा प्रतिबंधित या जनहित में मना करने पर किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। तथा उसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा व विज्ञापन पट्ट हटाने पर निगम द्वारा किये गये खर्च की वसूली लाईसेन्सी से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
20. निगम द्वारा बस स्टैण्डों पर वाहन संचालन के स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई व कोई निर्माण कार्य या सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता हुई तो निगम द्वारा 7 दिवस के नोटिस दिय जाने पर लाईसेन्सी को समस्त होर्डिंग्स विज्ञापन पट्ट/साईन बोर्ड अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से हटाने होंगे अन्यथा इसमें लापरवाही बरतने पर या नहीं हटाने पर निगम द्वारा किये जाने वाले समस्त प्रकार के खर्चों की वसूली लाईसेंसी से की जावेगी एवं विज्ञापन सामग्री की टूटफूट के लिये निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्तानुसार होर्डिंग्स/विज्ञापन पट्ट/साईन बोर्ड हटाने से लाईसेन्स फीस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जावेगी।

21. लाईसेन्सी को श्रम कानून व भविष्य निधी कानून तथा अन्य संबंधित कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। लाईसेन्सी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर निगम को अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी दशा में जमा धरोहर/सुरक्षा राशि व बैंक गारन्टी जप्ती के साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु निगम अधिकृत होगा।
23. लाईसेंस अवधि में निगम द्वारा बिना कारण बताये किसी भी समय लाईसेन्सी को एक माह का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इसकी कोई क्षतिपूर्ति लाईसेन्सी को देय नहीं होगी यदि लाईसेन्सी द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे अनुबन्ध के 6 माह पश्चात् 3 माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी, 3 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में फर्म की जमा धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्तकर ली जावेगी।
24. युद्ध/दंगों/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाईसेन्सी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत विज्ञापन शुल्क/लाईसेंस शुल्क में स्वीकार्य नहीं होगी तथा अन्य जगह से किये गये वाहन संचालन पर विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित करने की स्वीकृति देना निगम के लिये बाध्य नहीं होगा।
25. लाईसेंस समाप्ति पर लाईसेन्सी को होर्डिंग्स/साईन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड एवं पिल्लर बोर्ड 7 दिवस में स्वयं के खर्च पर हटाने होंगे।
26. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा विज्ञापन का लाईसेंस अन्य फर्म को भी जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
27. अनुबन्ध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (निगम में दोनों का पद एक होने पर) एक मात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (निगम में दोनों का पद एक होने पर) निगम के अधिकारी है एवं उनको ही मात्र पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/कार्यस्थल जयपुर होगा।
28. जिस निविदाकर्ता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्च पर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। जिसका प्रारूप निगम कार्यालय द्वारा दिया जावेगा जो लगभग इन्ही शर्तों के आधार पर होगा।
29. निविदा प्रस्ताव केवल निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगें।
30. निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो, प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षर कर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखे।
31. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
32. किसी भी निविदा को स्वीकृत करना निगम के लिये बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
33. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
34. किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई संस्था/निविदादाता फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी फर्म द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त की जावेगी।

35. लाईसेंस की इन शर्तों से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को स्थान का पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
36. लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थायी निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। अस्थायी निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को स्वयं लाईसेन्स धारी वहन करेगा अस्थायी निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी स्वयं के खर्च पर समस्त निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर स्थायी निर्माण नहीं करेगा।
37. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
 2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति)
 3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 500/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
38. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करे।
39. भीलवाड़ा आगार में भविष्य में नव निर्माण कार्य के होने के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
40. निविदा फार्म पूर्ण एवं साफ-साफ भरा होना चाहिए। अपूर्ण निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
- श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

41. **Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.**
42. **50. Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements**

issued by the Corporation shall be filed in the
competent court located in jaipur.

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

घोषणा-पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या दिनांक
..... राशि रूपये जो कि **CM RSRTC CBS**
JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :-

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।